बिहार विधान परिषद्

208वां शीतकालीन सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

26 नवम्बर, 2024

[स्वास्थ्य - ऊर्जा - संसदीय कार्य - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण - उद्योग - गन्ना उद्योग - अल्पसंख्यक कल्याण विधि].

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या- 15

---

200 यूनिट बिजली मुफ्त

1. **श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या मंत्री, **ऊर्जा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की संख्या काफी ज्यादा है, और उन्हें कम से कम 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रतिमाह उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ऐसे गरीब परिवार स्मार्ट प्रीपेड मीटर में रिचार्ज करने की क्षमता नहीं रखते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम युद्धस्तर पर जारी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलंब बीपीएल परिवारों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने से मुक्त करने और इन्हें 200 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

इथनॉल की भंडारण क्षमता

2. **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या मंत्री, **उद्योग** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान बिहार में इथनॉल का उत्पादन 2018 में 5.77 करोड़ लीटर से बढ़कर 2024 के प्रथम छः माह में 32.13 करोड़ लीटर पहुँच गया है जो कि 7 गुणा बढ़ गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि प्रदेश में भंडारण क्षमता के अभाव में दक्षिण भारतीय राज्यों में इथनॉल भेजा जा रहा है तथा अब भी 15 करोड़ लीटर के आस पास इसका भंडारण हो पा रहा है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इथनॉल की भंडारण क्षमता बढ़ाने की स्थिति से सदन को अवगत कराना चाहती है, यदि हां, तो कबतक ?

खाद्य सामग्रियों में मिलावट

3. **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या मंत्री, **स्वास्थ्य** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सूबे में खान-पान से संबंधित छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्रियों में मिलावट की सही जानकारी नहीं होने के कारण बाध्य होकर सशंकित खरीदारी करनी पड़ती है;

(ख) क्या यह सही है कि खाद्य सामग्रियों में गलत मिलावट के कारण उपभोक्ताओं की सेहत बुरी तरह प्रभावित होती है जो कभी-कभी जानलेवा हो जाता है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडो केउत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विशिष्ट खाद्य पदार्थों यथा अनाज,फल- सब्जी,मांस-मछली, दूध अथवा मिठाई आदि की शुद्धता एवं गुणवत्ता बरकरार रखने तथा उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु कौन-कौन से प्रभावी कदम उठा रही है?

जयप्रकाश नारायण सुपरस्पेशलिटी अस्पताल

4. **श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **स्वास्थ्य** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना के शास्त्रीनगर स्थित राज्य का एकलौता जयप्रकाश नारायण सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में आर्थोस्कोपी, एमआरआई मशीन तथा व्हीलचेयर नहीं रहने के कारण मरीजों को काफी परेशानी होती है ;

(ख) क्या यह सही है कि यह अस्पताल हड्डी रोग से संबंधित बीमारियों के ईलाज के लिए मशहूर है लेकिन ऑर्थोस्कोप मशीन नहीं रहने के कारण लीगामेंट अथवा ज्वाईंट रिपेयर जैसा ईलाज नहीं हो पाता है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऑर्थोस्कोपी, एमआरआई मशीन तथा व्हीलचेयर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विद्युत सब-पावर स्टेशन

5. **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **ऊर्जा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगुसराय शहर की बढ़ती उपभोक्ताओं की मांग और दबाव के कारण विद्युत आपूर्ति प्रायः बाधित रहती है ;

(ख) क्या यह सही है कि बेगुसराय के हरहर महादेव चौक से दक्षिण रिफाइनरी टाउन सिप के पूरब जमीन का चयन विद्युत कार्यपालक अभियंता के द्वारा नया विद्युत सब पावर स्टेशन के लिए किया गया है, यह प्रस्ताव मुख्यालय स्तर पर अनुमोदन के लिए लंबित है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो उक्त स्थान पर विद्युत सब-पावर स्टेशन सरकार कब तक निर्माण कराना चाहती है ?

पम्प ऑपरेटरों का बकाया भुगतान

6. **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि आरा जिलान्तर्गत सहार प्रखण्ड के ग्राम सहार, पंचायत सहार के वार्ड संख्या- 11, 1, 2, 5 और 12 में हर घर नल योजना के तहत पम्प लगे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि पम्प ऑपरेटरों को सरकार ने 3 हजार रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की थी;

(ग) क्या यह सही है कि इनमें कार्यरत ऑपरेटरों को अगस्त 2020 से अक्टूबर 2024 तक 1 लाख 53 हजार रुपया होता है, लेकिन केवल पचास हजार रुपया दिया गया है, जबकि प्रतिमाह की दर से 1 लाख 3 हजार रुपया बकाया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हर घर नल योजना के तहत पम्प में कार्यरत ऑपरेटरों को बकाया भुगतान यथाशीघ्र कराना चाहती है, यदि

हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

क्षतिपूर्ति की भरपाई

7. **श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **ऊर्जा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में ग्रिड से घरेलु उपभोक्ताओं को सुगम बिजली उपलब्ध कराने हेतु 11 KV का बिजली तार और पोल लगाई जा रही है ;

(ख) क्या यह सही है कि इन बिजली के तार और पोल लगाने के लिए निजी जमीन का उपयोग किया जा रहा है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन निजी/रैयती जमीन के उपयोग के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति की भरपाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण

8. **श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **स्वास्थ्य** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग से बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद् के सदस्यों के द्वारा उनके क्षेत्रों के लिए 5 स्वास्थ्य उपकेन्द्र निर्माण करने हेतु अनुशंसा मांगा गया था ;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार की इस मुहिम से पंचायत एवं प्रखंड स्तर सभी गरीब/असमर्थ लोगों को उत्तम एवं निशुल्क चिकित्सा प्राप्त होगी ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण यथाशीघ्र कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

न्यायिक न्यायालय की स्थापना

9. **प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या मंत्री, **विधि** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सिवान जिलान्तर्गत महराजगंज अनुमण्डल में न्यायिक न्यायालय की स्थापना हेतु महानिबंधक उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक 3864 दिनांक-20 जनवरी, 2020 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में न्यायालय स्थापना सम्बन्धी अधिसूचना प्रारूप विभागीय पत्रांक 1429 दिनांक 27 जनवरी, 2020 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की विधिक्छा एवं सहमति हेतु महानिबंधक उच्च न्यायालय, पटना को

भेजी गई थी ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बताना चाहती है कि इस पर सरकार की सहमति प्राप्त हुई है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों ?

पदाधिकारी पर उचित कार्रवाई

10. **श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या मंत्री, **स्वास्थ्य** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड के रेफरल अस्पताल, तरैया में डॉ.आलोक बिहारी शरण वर्तमान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन स्थल पर जनता और सरकार के प्रति व्यवहार ठीक नहीं हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पदाधिकारी द्वारा स्टेशन रोड, मढ़ौरा स्थित राधा मोहन क्लिनिक का संचालन किया जाता है ,जिसके कारण ये अपना समय अस्पताल में नहीं देकर अपने निजी क्लिनिक का संचालन करते है जिससे मरीजों को सरकारी अस्पतालों से मिलने वाली सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं ,तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में पदस्थापित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर उचित कार्रवाई करने के साथ साथ मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराना चाहती हैं, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

क्षतिग्रस्त खंभों का हटाना

11. **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या मंत्री, **ऊर्जा** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला के उद्वंतनगर प्रखण्ड के चकिया ग्राम में काफी घनी आबादी के बीच से गुजर रही 33000 kv की लाइन के तीन-चार लोहे के खंभे सड़क के बीचों-बीच हैं तथा जंग लग कर नीचे से क्षतिग्रस्त हो गए है, जिससे कभी भी गंभीर दुर्घटना घट सकती है, जिसमें जान-माल का नुकसान हो सकता है;

(ख) क्या यह सही है कि क्षतिग्रस्त लोहे के खंभों को बगल में हटाया जाना अति आवश्यक है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त क्षतिग्रस्त लोहे के खंभों को बगल में हटवाना चाहती है ,यदि हां तो कब तक ,नहीं तो क्यों?

कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई

12. **श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, नालन्दा के पत्रांक-590 दिनांक-23.12.2012 के द्वारा न्यायालय के न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, हिलसा को दिया गया था ;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिला विकास शाखा, नालन्दा के द्वारा दी गयी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए विलम्ब के लिए दोषी कार्यपालक अभियंता, हिलसा पर कार्रवाई करना चाहती है,यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पेयजल की अत्याधुनिक जांच/परीक्षण

13. **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या मंत्री, **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -

(क). क्या यह सही है कि सूबे में फ्लोराइड, आर्सेनिक तथा आयरन प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की शुद्धता एवं स्वच्छता के रेंडम जांच की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर नियमित रूप में प्रभावी नहीं है;

(ख). क्या यह भी सही है कि प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता में सुधार होने से वहां के वासियों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं से स्थायी निजात दिलाई जा सकती है;

(ग). यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं ,तो क्या सरकार लोकहित में प्रखंड स्तर पर पेयजल की अत्याधुनिक जांच/परीक्षण हेतु चलंत परीक्षण वाहन (Mobile Testing Van) की कारगर व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कबतक नहीं तो क्यों?

अस्पताल भवन का निर्माण

14. **श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **स्वास्थ्य** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत अनुमंडल अस्पताल, बगहा के भवन की स्थिति जर्जर एवं खंडहर हो गई है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल प्री फैब भवन में कार्यरत है, जिसकी अवधी 2025 में समाप्त हो जाएगी ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जर्जर एवं खंडहर अस्पताल को तोड़कर नया अस्पताल भवन का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

संस्थानों की मान्यता

15. **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **स्वास्थ्य** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि विशेषज्ञ जांच कमिटि द्वारा संस्थान का भौतिक निरिक्षण कर जांच प्रतिवेदन सर्मपित करने के छः माह के पश्चात संस्थानों की मान्यता प्रदान नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में पुराने निजी नर्सिंग संस्थानों की जांच के नाम पर नये संस्थानो की मान्यता रोक कर रखा गया है, जिनका विशेषज्ञ जांच कमिटि का प्रतिवेदन प्राप्त है;

(ग) क्या यह सही है कि नर्सिंग नियमावली-1997 के नियमानुसार विशेषज्ञ जांच कमिटि का प्रतिवेदन प्राप्त होने के छः माह के अन्दर सरकार को संस्थान की मान्यता की स्वीकृति पर निणर्य लेना अनिवार्य है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उतर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि नर्सिंग नियमावली-1997 के नियमानुसार विशेषज्ञ जांच कमिटि से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने वाले संस्थानों को मान्यता प्रदान करना चाहती है ,यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यो?

पटना- 800015.
26 नवम्बर, 2024.

अखिलेश कुमार झा,
सचिव, बिहार विधान परिषद्